राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3284/2024

डॉ. रणजीत महरानियां **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव, पशु पालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, निदेशालय, जयपुर (राज.)।
4. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.11.2024

आदेश की दिनांक : 11.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, हाल पद उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नीमकाथाना में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 21.05.2024 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और दिनांक 22.05.2024 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। तब से अपीलार्थी निरंतर बिना किसी शिकायत के संतोषजनक सेवायें दे रहा है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माह मई, 2024 से आज दिनांक तक एवं अक्टूबर, 2024 तक के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया,

जिससे अपीलार्थी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अनेकोबार अभ्यावेदन दिये गये परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। आदेश दिनांक 06.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशो की प्रतीक्षा में किया गया, जिसके विरूद्ध माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2854/2024 में दिनांक 06.09.2024 के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश दिनांक 11.09.2024 को पारित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतन का भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जो मनमाने एवं भेदभाव पूर्ण कृत्य है।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को माह मई, 2024 से अक्टूबर, 2024 का बकाया वेतन मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तथा दिनांक 21.02.2024 एवं 21.05.2024 की अवधि का 91 दिवस का चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, हाल पद उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नीमकाथाना में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को माह मई, 2024 से अक्टूबर, 2024 तक का बकाया वेतन भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 21.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी को उप निदेशक, नव सृजित जिला पशुपालन कार्यालय नीमकाथाना के पद पर पदस्थापित/स्थानांतरण किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.05.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यग्रहण किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को माह मई, 2024 से अक्टूबर, 2024 तक का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। चूंकि उक्त आदेश दिनांक 21.05.2024 अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.03.2024 के क्रम में अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया है और इस प्रकार अपीलार्थी नियमानुसार वेतन पाने का हकदार है। अतः हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा विभाग में दी

गई सेवाओं के आधार पर उसे नियमानुसार बकाया वेतन का भुगतान किया जावे तथा चिकित्सीय अवकाश आदि भी नियमानुसार स्वीकृत किया जावे।

अतः उक्त अपील, ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष